

चेक लिस्ट क्रं.सं. 35

राजस्व वन भूमि कलेक्टर का प्रमाण पत्र



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

क्रमांक/308/स.अ.भू.अ./2023
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 06/03/2023

✓ परियोजना निर्देशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा

विषय :- उरगा-पत्थलगाँव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 रायपुर-धनबाद इकोनोमिक कोरिडोर) भारतमाला परियोजना के निर्माण में प्रभावित अनुविभाग धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के वन भूमि प्रस्ताव के अंतर्गत राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) कार्यालय परियोजना निर्देशक, प.ह.ई.-कोरबा(छ.ग.) का पत्र क्रमांक 24011/5/प.का.ई.-कोरबा/वाल्सू-2/2022/2049 दिनांक 18.07.2022।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से वन मंडल धरमजयगढ़, अनुविभाग-धरमजयगढ़, तहसील-धरमजयगढ़ के अंतर्गत ग्राम खड़गाँव, धरमजयगढ़, सिसरिंगा, रैरुमाखुर्द, बाकारुमा एवं अनुविभाग-लैलूंगा तहसील-लैलूंगा अंतर्गत ग्राम बगुड़ेगा मैसर्स परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा की परियोजना उरगा-पत्थलगाँव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 रायपुर-धनबाद इकोनोमिक कोरिडोर) भारतमाला परियोजना अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत वन भूमि का वानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) धरमजयगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.) लैलूंगा से उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति/ अभिमत प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परियोजना हेतु राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अनुविभाग	तहसील	ग्राम का नाम	खरारा नंबर	आवेदित रकबा(हे० में)	रिमार्क
1	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	खड़गाँव	37/1	0.8756	बड़े झाड़ का जंगल
2				63/1/क	0.6245	बड़े झाड़ का जंगल
3			धरमजयगढ़	1427/1/क /1/1	4.3643	बड़े झाड़ का जंगल
4			सिसरिंगा	556/1	0.0035	छोटे झाड़ का जंगल
5				555	0.1352	छोटे झाड़ का जंगल
6				548	0.0140	छोटे झाड़ का जंगल
7				612/1	0.9192	छोटे झाड़ का जंगल
8				622	0.3839	बड़े झाड़ का जंगल

SA-Later

9				657/1/क /1	3.1101	बड़े झाड़ का जंगल
10				672	0.1471	छोटे झाड़ का जंगल
11				1025	0.0313	छोटे झाड़ का जंगल
12				750/1	0.0467	छोटे झाड़ का जंगल
13				840/1/क	0.3727	बड़े झाड़ का जंगल
14				931/1/क /1	2.4914	बड़े झाड़ का जंगल
15				1012/1/क	0.3055	बड़े झाड़ का जंगल
16				986/8/क	0.5279	छोटे झाड़ का जंगल
17				988	0.1259	बड़े झाड़ का जंगल
18			रैरूमाखुर्द	501/2/क	1.2580	बड़े झाड़ का जंगल
19				597/2	2.3290	बड़े झाड़ का जंगल
20				567/2	3.2625	बड़े झाड़ का जंगल
21				591/2	1.3550	बड़े झाड़ का जंगल
22			बकारूमा	34/1क	1.2977	बड़े झाड़ का जंगल
23	लैलूंगा	लैलूंगा	बगुड़ेगा	431	0.1979	छोटे झाड़ का जंगल
24				450	0.0286	छोटे झाड़ का जंगल
25				430	0.1621	छोटे झाड़ का जंगल
26				49	0.5865	छोटे झाड़ का जंगल
27				4/1	1.0333	बड़े झाड़ का जंगल
कुल योग					25.9894	

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा की परियोजना उरगा - पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.74 रायपुर - धनबाद इकोनोमिक कोरिडोर भारतमाला परियोजना तहसील - धरमजयगढ़ के अंतर्गत ग्राम खड़गांव, धरमजयगढ़ सिसरिंगा, रैरूमाखुर्द, बाकारूमा एवं तहसील - लैलूंगा अंतर्गत ग्राम बगुड़ेगा में कुल रकबा 25.9894 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि वन संरक्षण- 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन बावत् उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तों के अधीन कोई आपत्ति नहीं है:-

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा की परियोजना उरगा - पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 रायपुर - धनबाद इकोनोमिक कोरिडोर) भारतमाला परियोजना हेतु वन मंडल धरमजयगढ़ तहसील धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम खड़गांव, धरमजयगढ़, सिसरिंगा, रैरूमाखुर्द, बाकारूमा एवं तहसील - लैलूंगा अंतर्गत ग्राम बगुड़ेगा में कुल प्रभावित रकबा 25.9894 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दी जा रही है।
2. वन संरक्षण अधिनियम-1980 लागू होने पर सम्बन्धित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र परियोजना उरगा- पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 रायपुर - धनबाद इकोनोमिक कोरिडोर) भारतमाला परियोजना हेतु दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजना के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता।
4. वृक्षों को कटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. यह अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन भू-खण्ड छोटे/बड़े झाड़ के जंगल भू-मि की भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्रावधान के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति दिये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार अनुशंसा सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र सादर संप्रेषित है।

Taran

कलेक्टर

रायगढ़(छ0ग0)

पृ.क्रमांक/308/स.अ.भू.अ./2023
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक 06/03/2023

- 1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2 वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ को सूचनार्थ।
- 3 अनुविभागीय अधिकारी(रा0) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी(रा0) लैलूंगा जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

Taran

कलेक्टर

रायगढ़(छ0ग0)